

क्रमांक: जेपीडी/कार्मिक/तक.सं./वे 2150

जयपुर, दिनांक 16.8.2012.

आदेश

विद्युत निगमों की समन्वय समिति की दिनांक 16.07.12 को सम्पन्न 158वीं बैठक में विद्युत निगमों के पात्र कर्मचारियों को देय वर्दी क्रय दरों में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 6(2) साप्र/3/81 दिनांक 04.05.2012 के अनुसार वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के अनुसरण में, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पात्र कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्दी क्रय की वार्षिक दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारियों का संवर्ग	वार्षिक दर (रूपयों में)
1.	वाहन चालक	1200/-
2.	पुरुष चतुर्थ श्रेणी/तकनीकी कर्मचारी	1100/-
3.	महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1300/-

उक्त वर्दी क्रय की दरें संबंधित कर्मचारियों को उनके द्वारा यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी कि वे नियमित रूप से वर्दी पहन कर ही कार्य पर उपस्थित होंगे। अन्य दिशा-निर्देश पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अध्वधीन होगा।

आदेशानुसार,

(आर.के.शर्मा)

मुख्य कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य/अति./उप मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
- सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
- सचिव (प्रशासन), रासविप्रनि/अजमेर डिस्कॉम/जोधपुर डिस्कॉम/संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशा.), रासविप्रनि, जयपुर/जोधपुर/अजमेर को उनके निगम के सम्बन्ध में आदेश जारी करने हेतु।
- अति.पुलिस अधीक्षक (सतकंता) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (IT), जयपुर डिस्कॉम 2455
- मुख्य लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
- वरिष्ठ/कार्मिक अधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
- लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
- कम्पनी सचिव/ जन-सम्पर्क अधिकारी, जविविनि, जयपुर।
- विशेषाधिकारी/उप/सहायक सचिव ( ), जविविनि
- सहायक अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम
- निजी सहायक-अध्यक्ष एवं प्र.नि./निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जविविनि, जयपुर

*H. S. Patil*

(एन.एस.नाथावत)  
कार्मिक अधिकारी (तक.सं.)